न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—64/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/64)

1. रामदेव पुत्र नानू आयु 60 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम लवेरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. छोटी पत्नि रेमता (नाम तर्क)
2. काना पुत्र रेमता
3. नारायण पुत्र रेमता
4. गोपाल पुत्र रेमता समस्त जातिगण गुर्जर निवासी ग्राम लवेरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
5. राजस्थान सकरार जरिए तहसीलदार, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटगण

6. सूजा पुत्र नानू
7. गलकू पत्नि पांचू
8. हरी पुत्र पांचू
9. भंवरलाल पुत्र पांचू
10. सीता पुत्री पांचू
11. मुन्नी पुत्री पांचू समस्त जातिगण गुर्जर निवासी ग्राम लवेरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

परफोर्मा रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 02.02.2023 राजस्व वाद संख्या 115/2012.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नवीन गुर्जर, सुखदेव चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 05
4. रेस्पोडेंट संख्या 6 से 11 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—03.01.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 115/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.02.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष अपीलार्थी/प्रतिवादी एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

परफोर्मा रेस्पोडेंटगण/प्रतिवादी के विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्थान अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम लवेरा के वर्किंग खसरा नम्बर 32 रकबा 2–4–0 हाल खसरा नम्बर 81 रकबा 0.36 की आराजी वादीगण की पुश्तैनी सह खातेदारी की है। वादीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी पर नानू पुत्र सालू के स्थान पर रेंवता पुत्र घासी के नाम अंकन करने के आदेश दिनांक 31.1.1986 को हुये। आराजी मुतनाजा का इन्द्राज भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पुनः सही दर्ज किया गया। हाल जमाबंदी बनाते समय बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाये एवं वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पूर्वज नानू पुत्र सालू की खातेदारी थी। हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण की खातेदारी है। नानू पुत्र सालू के स्थान पर रेवंता पुत्र घासी के नाम अंकन करने के आदेश दिनांक 31.01.1986 को हुये जिसको भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पुनः सही दर्ज किया गया। नानू पुत्र सालू द्वारा भूमि का बैचान कभी भी रेमता पुत्र घासी को नहीं किया गया। दिनांक 31.1.1986 को किसी भी न्यायालय द्वारा या सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश नहीं दिया गया। वाद मियाद बाहर है तथा बिना वाद कारण के होने के कारण सव्यय खारिज योग्य है। प्रकरण में कुल दो तनकीयात कायम किये गये है जिसमें प्रथम तनकीयात आया-दावाकृत संपदा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है तथा द्वितीय तनकीया अनुतोष का कायम किया गया जो वादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2023 से पटवार हल्के से विधि विरूद्ध तरीके से प्रकरण में निर्णय के दौरान रिपोर्ट तलब की गयी पर प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गयी को दिनांक 24.01.2023 को खारिज कर अपीलाधीन निर्णय एंव डिकी वादी का वाद दिनांक 02.02.2023 को स्वीकार किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा प्रकरंण संख्या 115/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.02.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 6 से 11 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावाकृत भूमि वर्किंग खसरा नम्बर 32 रकबा 2–4–0 वादीगण के पूर्वज नानू पुत्र सालू के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज चला आ रहा था तथा हाल खसरा नम्बर 81 रकबा 0.36 प्रतिवादीगण/अपीलान्टगण एवं परफोर्मा रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है तथा पुश्तैनी समय से काबिज मालिक स्वामी चले आ रहे है किन्तु समस्त तथ्यों एंव दस्तावेजों की अनदेखी करते हुऐ अपीलाधीन निर्णय एंव डिकी पारित की गई। प्रकरण में रेस्पोडेंन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

संख्या से 1 से 4/वादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी एवं कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराये गये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण को गैर कानूनी तरीके से प्रकरण में फायदा पहुंचाने के आशय से पत्रावली निर्णय में रखते हुऐ केवल मात्र पटवारी से दिनांक 19.01.2023 को पटवारी रिपोर्ट व दिनांक 21.12.2022 का मौका पर्चा फर्जी तरीके से तैयार किया गया तथा पक्षकारान प्रतिबादीगण/अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा आपत्ति खारिज कर वादीगण के पक्ष में साक्ष्य एकत्रीत कर अपीलाधीन निर्णय डिक्री पारित की गयी जो निरस्त होने योग्य है। दावाकृत भूमि अपीलान्ट एंव रेस्पोडेन्ट परफोर्मागण की पुश्तैनी भूमि है तथा मौके पर तारबंदी लगाकर खरीदकर खंभे लगाये गये किन्तु बिना तहसीलदार एंव बिना गिरदावार हल्का के पटवारी द्वारा फर्जी मौका पर्चा तैयार कर बिना पक्षकार की उपस्थिति में पेश की गयी तथा उक्त फर्जी मौका पर्चा के आधार पर निर्णय डिकी पारित कर दी गयी जो निरस्त होने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 115/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.02.2023 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम लवेरा के वर्किंग खसरा नम्बर 32 रकबा 2–4–0 हाल खसरा नम्बर 81 रकबा 0.36 की आराजी वादीगण की पुश्तैनी सह खातेदारी की है। वादीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी पर नानू पुत्र सालू के स्थान पर रेवता पुत्र घासी के नाम अंकन करने के आदेश दिनांक 31.1.1986 को हुए। आराजी मुतनाजा का इंद्राज भू–प्रबंध विभाग द्वारा पुनः सही दर्ज किया गया। हाल जमाबंदी बनाते समय बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 81 रकबा 0.36 की आराजी पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 26.4.2012 को वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत किया वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किए गए। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 31.5.2012 को नियत की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 7

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

बावजूद तामील उपस्थित नहीं विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। मिसल वास्ते जवाब सरकार दिनांक 3.7.2012 को पेश हो। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की तरफ से उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का पेश किया। मिसल वास्ते जवाब बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 29.10.2012 को पेश हो। दिनांक 11.12.2012 को पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 18.12.2012 को पेश हो। दिनांक 18.12.2012 को वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गत तारीख पेशी पर स्वीकृत किया गया था जो पेशी पर नहीं लिखा जा सका वकील प्रतिवादी 1 से 7 ने जवाब पेश किया। राज0 पेरोकार जवाब नहीं पेश करना चाहते मिसल वास्ते कायामी तनकीयात दिनांक 14.2.2013 को पेश हो। दिनांक 23.6.2014 को तनकीयात कायम कर चस्पा कर सुनाई गई जो शामिल मिसल है। पत्रावली वास्ते जवाब वादी दिनांक 4.8.2014 को पेश हो। तत्पश्चात पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 29.10.2015 में नियत की गई। वकील वादी साक्ष्य हेतु अवसर चाहते है जो दिया जा कर मिसल वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 10.12.2015 को पेश हो। पत्रावली दिनांक 10.12.2015 को पेश हुई वकील वादी आज भी साक्ष्य हेतु अवसर चाहते है। अंतिम अवसर दिया जा कर मिसल वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 18.1.2016 को पेश हो। पत्रावली दिनांक 6.4.2017 को पेश हुई वकील वादी साक्ष्य हेतु अवसर चाहते है। साक्ष्य वादी हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है अगली तारीख पेशी पर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य स्वतः बंद मानी जाएगी। मिसल दिनांक 8.6.2017 को पेश हो। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 20.3.2018 को पेश हुई। वकील वादी साक्ष्य हेतु अवसर चाहते हैं। पूर्व में समुचित अवसर दिया जा चुका है। न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 18.9.2018 अंकित की गई। पत्रावली पेश हुई वकील वादी आज भी साक्ष्य हेतु अवसर चाहते है। पूर्व में कई अवसर दिए जा चुके है। न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 30.4.2018 को पेश हो। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 18.9.2018 को पेश हुई। वकील वादी आज भी साक्ष्य हेतु अवसर चाहते है। पूर्व में कई अवसर दिए जा चुके है। न्यायहित में अंतिम अवसर 100 रूपए कोस्ट पर दिया जाता है। मिसल वास्ते कोस्ट अदायगी व साक्ष्य वादी दिनांक 4.10.2018 को पेश हो। पत्रावली दिनांक 3.1.2019 को पेश हुई वकील वादी आज भी साक्ष्य हेतु अवसर चाहते है। पूर्व में अंतिम अवसर व कोस्ट पर भी अवसर दिया गया था न्यायहित में 200 रूपए कोस्ट पर अंतिम अवसर इस आशय से दिया जाता है कि आगामी तारीख पर साक्ष्य वादी पेश नहीं करने पर साक्ष्य स्वतः बंद मानी जाएगी। मिसल वास्ते कोस्ट अदायगी 300/– रूपए व साक्ष्य वादी दिनांक 7.1.2019 को पेश हो। दिनांक 11.1.2019 को पत्रावली पेश हुई वकील प्रतिवादी को कोस्ट दिलाई गई वकील वादी ने नारायण का शपथ पत्र पेश किया। मिसल वास्ते जिरह वादी दिनांक 17.1.2019 को पेश हो। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 7.1.2021 को पेश हुई वकील वादी जिरह हेतु अवसर चाहते है गवाह भी उपस्थित नहीं है पूर्व में कई अवसर दिए जा चुके है न्यायहित में अंतिम अवसर इस आशय से दिया जाता है कि आगामी तारीख पेशी पर गवाह पेश नहीं करने पर सत्य व शपथ पत्र नहीं पढे जावेगे। मिसल वास्ते जिरह वादी दिनांक 21.1.2021 को पेश हो। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 4.2.2021 को पेश हुई। वकील वादी ने जाहिर किया कि वादी संख्या 1 की मृत्यु हो गई है। वादी गवाह

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

जिरह हेतु उपस्थित नहीं आगामी तारीख पेशी पर वादी गवाह उपस्थित करने व वादी को रिकार्ड पर लेने हेतु निर्देशित किया जाता है। मिसल दिनांक 1.3.2021 को पेश हो। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 13.8.2021 को पेश हुई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र वास्ते वादी संख्या 1 का नाम तर्क करने बाबत पेश किया। उभयपक्ष को सुना गया वादी संख्या 1 की मृत्यु हो गई है उसके वारिसान पूर्व में रिकार्ड पर है। अतः वादी संख्या 1 का नाम तर्क किया जाता है। मिसल वास्ते जिरह दिनांक 16.8.2021 को पेश हो। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 16.8.2021 को नियत की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी ने वादी से जिरह पूर्ण की जो शामिल मिसल है। साक्ष्यवादी पूर्ण हुई पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 13.9.2021 को पेश हो। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 13.9.2021 को पेश हुई। वकील प्रतिवादी ने जाहिर किया कि वे प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाती है। मिसल वास्ते बहस दिनांक 29.9.2021 को पेश हो। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 9.12.2022 को पेश हुई। पत्रावली पेश हुई बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 16.12.2022 को पेश हो। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 16.12.2022 को पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण मूलतः धारा 88 आरटी एक्ट का खातेदारी उदघोषणा बाबत हैं किंतु दोनों पक्षों द्वारा कब्जे के समर्थन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। अतः प्रकरण को उचित व न्यायिक निस्तारण हेतु वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट तलब किया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार नसीराबाद को तहरीर जारी की गई। मिलस वास्ते इंतजार रिपोर्ट दिनांक 30.12.2022 को पेश हो। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 24.1.2023 में नियत की गई पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी ने मौका रिपोर्ट पर आपत्ति बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पर सीधी बहस करना जाहिर किया बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। मूल दावे पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 2.2.2023 को पेश हो। पत्रावली दिनांक 2.2.2023 को पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया गया हाल खसरा नम्बर 81 रकबा 0.36 की आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्मित तनकीयात व निर्णय का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 81 रकबा 0.36 की आराजी पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया गया। चूंकि आराजी मुतनाजा वर्किंग जमाबंदी में रेस्पोडेंट/वादीगण के पूर्वज रेमता के नाम दर्ज की गई थी। भू प्रबंध विभाग को उक्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेंट/वादीगण अथवा रेमता पुत्र घासी के नाम दर्ज करने के बजाय अपीलांट/प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। अपीलांट/प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर काबिज नहीं है। उक्त आराजी के वर्किंग खसरा नम्बर 32 नानू पुत्र सालू के नाम दर्ज थी जो मिसल नम्बर 202/86 तारीख फैसला 31.1.86 से रेंमता पुत्र घासी के नाम दर्ज की गई जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज **प्रदर्श–3** से स्पष्ट है। आराजी मुतनाजा की मौका रिपोर्ट अनुसार भी वर्तमान में रेस्पोडेंट/वादीगण का कब्जा काश्त है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इंद्राज त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है क्योंकि अपीलांट/प्रतिवादीगण ने वाद के खण्डन हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

नहीं किए है व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष व हाजा न्यायालय के समक्ष यह बताने में असफल रहे हैं कि उक्त आराजी किस प्रकार से उनके नाम दर्ज की गई चूंकि दिनांक 13.9.2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिए जाने पर भी अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं किए जाने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 21.12.2022 बाबत् भी अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आक्षेप किया गया था कि बिना पक्षकारान/अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर दिए मौका रिपोर्ट तलब की गई है जो प्रतिवादी पक्षकार की मौजूदगी में तैयार नहीं की गई है। परंतु न्यायालय द्वारा इस आक्षेप का खण्डन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी दिनांक 24.1.2023 को खारिज करते हुए कथन किया कि उक्त मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष तैयार की गई है जिसकी सत्यता से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति से मौके पर कब्जे के तथ्य परिवर्तित नहीं होते है। अतः प्रकरण में पक्षकार की मौजूदगी में पुनः मौका रिपोर्ट तलब करने का कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता है। अतः उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में वर्तमान रेस्पोडेंट अथवा रेमता पुत्र घासी के नाम दर्ज करने के बजाय अपीलांट्स/प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। अतः भू प्रबंध विभाग से चूक हुई है जिसका फायदा अपीलार्थीगण को नहीं दिया जा सकता है। अपीलार्थीगण ने कहीं पर भी यह नहीं बताया है कि उक्त आराजी किस प्रकार से उनके खाते में आई है या इसके बाबत उन्होंने कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेजात भी प्रस्तुत नहीं किए है। इसलिए अपीलार्थीगण अपने कथनों को सिद्ध नहीं कर सके हैं जबकि अप्रार्थी के पक्ष में प्रकरण बखूबी सिद्ध होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी प्रकार की विधिक व न्यायिक त्रुटि कारित नहीं करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का भली–भांति अवलोकन करते हुए आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के अनुसार उक्त प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमें हाजा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 115/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.02.2023 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

03/01/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

,Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।

ब इजलाशः–रामचन्द्र, आर.ए.एस.

रामदेव पुत्र नानू जाति गुर्जर निवासी ग्राम लवेरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

बनाम

छोटी पत्नि रेमता(नाम तर्क) जाति गुर्जर निवासी ग्राम लेवरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर व अन्य।

(अपील संख्या 64/2023 ब अदालत उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर मुबर्खे 02 माह 02 सन् 2023, प्रकरण संख्या 115/2012 बउनवानी छोटी बनाम सूजा वगै)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राज0काश्त0अधि01955 व धारा 136 भू0रा0 अधि0

यह अपील ब तारीख 03 माह 01 सन् 2025 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिर श्री सीताराम रावत, अभिभाषक अपीलांट,श्री नवीन गुर्जर,सुखदेव चौधरी अभिभाषक रेस्पों संख्या 02 से 04,श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेट संख्या 05, रेस्पो संख्या 06 से 11 अनुपस्थित,समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं कि:– अपील अपीलांटस खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 115/2012 में पारित निणर्य व डिक्री दिनांक 02.02.2023 को यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक –. रूपये– –. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का– – अदा करें।)

बस्वत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 03 माह 01.सन् 2025 को जारी किया गया।

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये पैसे
1.स्टाम्प अपील	–	1.स्टाम्प वकालतनामा	–
2.स्टाम्प वकालतनामा	–	2.स्टाम्प अर्जी	–
3.इजराय हुक्मनामा	–	3.इजराय हुक्मनामा	–
4.वकील फीस बाबत्	–	4.महनताना वकील	–
मीजान	–	मीजान	–

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें

Scanned with CamScanner